UPKJ010019052026
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (दस्यु प्रभावित क्षेत्र)
कक्ष संख्या–2, कन्नौज।
पीठासीन अधिकारी– हरि प्रसाद, (उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP6489
जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–701/2026

1. **रामप्रसाद पुत्र दुलारे लाल,**
2. **सुशील पुत्र रामदास,**

निवासीगण–बहोसी थाना इन्दरगढ़ जनपद कन्नौज। **.....अभियुक्तगण।**

बनाम

उ०प्र० राज्य **.....अभियोजन पक्ष।**

परिवाद संख्या–72/2017
रवि प्रति रामदास आदि
धारा–395, 506 IPC
थाना–इन्दरगढ़ जनपद कन्नौज।

जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण **रामप्रसाद** एवं **सुशील** की तरफ से जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. ऊपर वर्णित अभियोग में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें उपरोक्त मुकदमा में गलत व झूंठा फंसाया गया है। उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

3. परिवाद कथानक के अनुसार दिनांक 22.04.2017 को परिवादी व उसकी मां सुलह समझौते केन्द्र में नियत मुकदमें की तारीख कर मोटर साइकिल से वापस जा रहा था तभी समय करीब 3.30 बजे दिन जैसे ही वह ग्राम अगौस के आगे पुलिया पर पहुंचा तो वहां पर पहले से ही मौजूद विपक्षीगण ने उसकी मोटरसाइकिल को घेर लिया और उसे व उसकी मां को मोटरसाइकिल से खींच कर मारापीटा तथा जेब में रखे चार हजार छः सौ साठ रूपये नकद व आधार कार्ड व मुकदमा सम्बन्धी प्रपत्र जबरदस्ती लूट लिए तथा मां की लज्ञा भंग करते हुए सोने के कुण्डल भी जबरदस्ती लूट लिए। चीख पुकार पर खेतों पर काम कर रहे ओम प्रकाश आदि तमाम लोग आ गये जिन्होंने घटना देखी तथा विपक्षीगण से उन्हें बचाया। विपक्षीगण ने धमकी दी कि हम लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही की तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। परिवादी ने घटना के सम्बन्ध में थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया किन्तु उसकी रिपोर्ट दर्ज नही की गयी। पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कोई कार्यवाही न होने पर प्रस्तुत परिवाद न्यायालय में प्रेषित किया।

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.06.20 10:25:39 IST
Reason: BAIL ALLOW
Location: ADJ COURT NO 2 KANNAUJ

4. मैंने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा सहायक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौदारी की बहस सुनी तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया और जमानत निरस्त किये जाने की याचना की गई।

6 मामला परिवाद पर आधारित है। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अन्य प्रकरण दर्ज नहीं है। अभियोजन या परिवादिनी की ओर से अभियुक्तगण किसी अन्य प्रकरण में दोषसिद्धि का कोई कथन नहीं किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा दौरान जमानत अंतरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है।

7. अतएव मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का उक्त जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **रामप्रसाद** एवं **सुशील** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है। प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा **50,000/–(पचास हजार रूपये)** की दो जमानतें तथा समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करें। अभियुक्त द्वारा इस आश्यय का अंडरटेकिंग भी दाखिल किया जाये कि–

अ– मामले के प्रत्येक सुनवाई पर वह स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा।

ब– अभियुक्त आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंकन के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर वह न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

स– साक्षीगण के उपस्थित आने पर कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

द– साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तों के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित किया जा सकेगा।

दिनांक–18.06.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), कक्ष संख्या–2 कन्नौज।
J.O.CODEUP6489